



Neutral Citation No. - 2026:AHC:34610

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2362 वर्ष 2026

कांस्टेबल जे. डब्ल्यू. अमर पाल सिंह और अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: अरविंद कुमार तिवारी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: सीएससी

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार तिवारी और राज्य सरकार के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि वे भारतीय सेना के पूर्व सैनिक हैं, जिन्हें 11.11.2002 को सेना में भर्ती किया गया था और 30.01.2020 को उन्हें सेवामुक्त कर दिया गया; तत्पश्चात, उन्हें पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर भर्ती किया गया। वे रिट-ए संख्या 10689/2024, 'सीता राम शर्मा और 13 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य' (जिसका निर्णय 09.04.2025 को हुआ था) में दिए गए निर्णय के आलोक में 'वेतन संरक्षण' की मांग कर रहे हैं।
3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय सर्वप्रथम प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा किया जाना चाहिए।
4. दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता, रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ, प्रत्यर्थी संख्या 4 के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। प्रत्यर्थी संख्या 4 उक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर, विधि के पूर्णतः अनुरूप याचिकाकर्ता के दावे पर विचार

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



करते हुए निर्णय लेगा। यदि प्रत्यर्थी संख्या 4 को यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना अपेक्षित है, तो वह याचिकाकर्ता को विधिवत सूचित करने के उपरांत, संबंधित पत्रावली उस प्राधिकारी को प्रेषित कर देगा।

17 फरवरी, 2026

आर.एस. राठौर

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”